भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 550

जिसका उत्तर 28 नवंबर, 2024 को दिया जाना है।

.....

नालों के पानी को नदियों में बहाना

550. श्री सतपाल ब्रह्मचारीः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) भारत में कुल कितनी नदियां हैं तथा उन नदियों के नाम क्या हैं जिनमें नगरपालिका क्षेत्रों से अशोधित नालों का पानी बहाया जाता है;

(ख) क्या यह सच है कि नालों के पानी के शोधन के बाद भी यमुना प्रदूषित हो जाती है यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि कई सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) के मानक के अनुसार काम न करने के कारण यमुना नदी का पानी साफ नहीं हो पा रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं; और

(ङ) ऐसी एसटीपी संचालित करने वाली कम्पनियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है/की जाने की संभावना है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राज भूषण चौधरी

(क): केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वर्ष 2022 में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, देश की कुल 603 नदियों की निगरानी की गई, और यह पाया गया कि 279 नदियों के कुल 311 नदी खंड़ प्रदूषित है। प्रदूषित नदी खंड़ो का विवरण https://cpcb.nic.in/openpdffile.php?id=UmVwb3J0RmlsZXMvMTQ5OF8xNjcyOTg4MDQ1X21IZGlhcGhvdG8xMjk5NS5wZGY= पर उपलब्ध है।

(ख): यमुना नदी में प्रदूषण का मुख्य कारण यमुना नदी में अनुपचारित/आंशिक रूप से उपचारित सीवेज का डिस्चार्ज करना, कुछ अनुमोदित औद्योगिक क्षेत्रों में कॉमन बहिस्त्रांव उपचार संयंत्र होना, नई परियोजनाओं को पूरा करने में विलंब होना और सीवेज उपचार परियोजना का पुनरूद्धार और/या उन्नययन किया जाना है।

(ग): दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) से प्राप्त सूचना के अनुसार, केवल 38 परिचालित एसटीपी में से केवल 16 एसटीपी को निर्धारित मानकों को पूरा करते हुए पाया गया।

(घ) और (ङ): उठाए गए/उठाए जा रहें सुधारात्मक कदमों का विवरण निम्नलिखित है:

(i) दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) से प्राप्त सूचना के अनुसार, दिल्ली जल बोर्ड के सभी चल रहें एसटीपी की दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) द्वारा प्रतिमाह निगरानी की जा रही है जिसकी विश्लेषित रिपोर्ट दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) की वेबसाइट पर उपलब्ध है। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) द्वारा नियमित आधार पर निर्धारित मानकों को पूरा करने के लिए दिल्ली जल बोर्ड को पत्र लिखे जाते है।

(ii) दिल्ली जल बोर्ड ने सूचना दी है कि प्रत्येक संविदा में उपचारित बहिर्स्त्राव के गारंटिड मापदंडों को पूरा न करने की दशा में शास्ति का प्रावधान है और, अनुपालना न करने के लिए समय-समय पर भुगतान राशि रोक दी जाती है/वापस ले ली जाती है। यदि एजेंसी अनुस्मारक वार्ता के बाद भी उचित रूप से जवाब नहीं देती है, तो दिल्ली जल बोर्ड को उन्हें संविदा की सूची से ब्लैक लिस्ट/प्रतिबंधित किए जाने का भी प्रावधान है। दिल्ली जल बोर्ड द्वारा विभिन्न स्थलों पर चूककर्ता कंपनियों पर कार्रवाई की गई है।

(iii) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दिल्ली में स्थापित सीवेज उपाचर संयंत्रों (एसटीपी) के अनुपालना न करने की स्थिति में जल (प्रदूषण के रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 18(1) (बी) के अंतर्गत दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति को दिनांक 12.11.2024 को दिशानिर्देश जारी किए गए।

(iv) दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीटी) की सरकार निम्नलिखित सीवेज अवसंरचना की क्षमता बढ़ाने संबंधी परियोनाओं पर काम कर रही है:-

(क) कोण्डली चरण-II, रिठाला चरण-I और यमुना विहार चरण-II में मौजूदा 3 एसटीपी का पुनर्स्थापन,

(ख) मौजूदा एसटीपी का उन्नयन और बढ़ी हुई क्षमता,

(ग) ओखला और सोनिया विहार में दो नए एसटीपी का निर्माण,

(घ) विभिन्न इंटरसेप्टर सीवर परियोजना।

(v) नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत, यमुना नदी को संरक्षित करने के लिए 1,951 करोड़ रूपये की अनुमानित लागत से 1,268 एमएलडी सीवेज उपचार क्षमता का सृजन करने हेतु राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में 9 परियोजनाएं स्वीकृत की गई है।

(vi) केंद्रीय निगरानी समिति (सीएमसी) और उच्च स्तरीय समिति (एचएलसी) की बैठक में इस मामलें का नियमित रूप से समीक्षा की जाती है और राज्य एजेंसियों को आवश्यक दिशानिर्देश जारी किए जाते है।

*****